विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/16

श्री सच्चानंद पंजवानी — आवेदक
बजरंग ट्रेडर्स, नया बाजार
पटेरिया गली, सागर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1) मुख्य अभियंता (सागर क्षेत्र) — अनावेदक
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सागर।

(2) अधीक्षण अभियंता (ओ एण्ड एम.) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सागर

आदेश

(दिनांक 07.06.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 70/2016 श्री सच्चानंद पंजवानी विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि तथा अन्य 4 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा दिनांक 05.04.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 उपरोक्त अभ्यावेदन को लोकपाल कार्यालय में प्रकरण क्रमांक एल00–01/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 27.4.2016 को सुनवाई की गई जिसमें आवेदक उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री अजय दुबे, अधिवक्ता एवं श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित थे।

04 आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्क के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया तथा अगली सुनवाई की तिथि 25.5.2016 नियत की गई।

अ श्री पंकज कुमार जैन द्वारा दिये गये शपथ पत्र पर फ्रेंचायजी मेसर्स ऐस्सेल कंपनी द्वारा कनेक्शन क्यों विच्छेदित किया गया। जबकि उनका उक्त दोनों पक्षों से कोई संबंध नहीं है।

ब मुख्य अभियंता, सागर द्वारा किस आधार पर आवेदक को विद्युत कनेक्शन तत्काल दिये जाने हेतु व्यवसाय प्रमुख मेसर्स ऐस्सेल कंपनी, सागर को निर्देशित किया गया।

स क्या वर्तमान में उक्त विद्युत कनेक्शन किसी अन्य उपभोक्ता के नाम से परिवर्तित किया गया है।

05 दिनांक 25.5.2016 को सुनवाई में आवेदक स्वयं उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री ए.के. सावरीकर, ए.ई. सिटी सागर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई तथा बताया गया कि आवेदक द्वारा दुकान के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक की दुकान के मालिकाना हक के संबंध में एक प्रकरण व्यावहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालय में दर्ज है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक तथा वादग्रस्त परिसर में कोई परिवर्तन न करने व अन्य किसी को हस्तांतरिन न करने के आदेश पारित किये है। आवेदक द्वारा न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। (ओई–5)

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्क से निम्न तथ्य सम्मुख आये हैं –

अ नया बाजार सागर स्थित दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 नगर पालिका के आधिपत्य में होकर किराये पर दी गई हैं।

ब आवेदक दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 में रेडीमेड कपड़ा का व्यवसाय करता है।

स प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि दुकान नं. 2/5 में श्री बच्चामल तीरथ दासानी के नाम से विद्युत कनेक्शन दिया गया है ।(ओई–1)

द सागर मुख्यालय पर विद्युत वितरण का कार्य एस्सेल ग्रुप द्वारा बतौर फ्रेंचायजी किया जा रहा था। एस्सेल कंपनी द्वारा श्री पंकज कुमार आत्मज श्री महेश कुमार, निवासी– सिविल लाईन्स सागर द्वारा दुकान नं. 2/5 में स्थित विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर नया विद्युत कनेक्शन देने हेतु शपथ पत्र दिया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि श्री बच्चामल आत्मज तीरथ दासानी उनके दादा थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इस शपथ पत्र के आधार पर विद्युत कनेक्शन श्री पंकज कुमार आत्मज श्री महेश कुमार के नाम से दुकान नं. 2/5 में जारी किया गया (ओई–2) । नगर पालिका निगम, सागर के रिकार्ड (ओई–3) में दुकान नं. 2/4 वर्ष 2001 में श्री बच्चामल आत्मज श्री कल्लूमल के नाम से थी जो कि अब श्री मनीष कुमार आत्मज श्री उधवदास के नाम से दर्ज है। नगर निगम द्वारा इस दुकान को किराये से मनीष कुमार तीर्थानी को देने का अनुबंध किया गया है। (ओई–4) दुकान नं. 2/5 सुन्दरदास आत्मज बच्चामल के नाम से थी जो कि वर्तमान में श्री पंकज कुमार आत्मज श्री महेश कुमार के नाम से दर्ज है जिसका कि किराया नगर निगम कार्यालय में श्री पंकज कुमार द्वारा जमा कराया जाता है। (ओई–5) जिसकी रसीद नस्ती में उपलब्ध है।

06 श्री मनीष कुमार आत्मज उधवदास द्वारा एक प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दुकान नं. 2/4 से संबंधित परिवादी क्रमांक 2 एवं वादी के मध्य अनुबंध पत्र की वैधता एवं दुकान नं. 2/5 परिवादी की वैधता ऐसे विषय हैं जिनका कि न्यायनिर्णयन न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है एवं उक्त बिन्दुओं पर निराकरण विस्तृत साक्ष्य एवं गुण के आधार पर किया जा सकता है। आवेदक/वादी प्रथम दृष्टया प्रकरण अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर सका। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रतिवादी क्रमांक–1 अर्थात इस प्रकरण के आवेदक को आदेशित किया गया कि वे न्यायालय में चलते प्रकरण के अंतिम निराकरण तक परिसर में कोई परिवर्तन नहीं करें और न ही किसी अन्य को अंतरित करें। (ओई–5)

07 आवेदक द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया कि उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया जिसे पुनः चालू करने हेतु एस्सेल वितरण कंपनी को आदेश दिया जाए। चूंकि मूल वाद में एस्सेल वितरण कंपनी पक्षकार के रूप में शामिल नहीं थी अतः प्रतिवादी क्रमांक–1 एवं इस प्रकरण के आवेदक की वांछित सहायता प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा के संबंध में आदेश पारित किया गया। (ओई–6)

08 आवेदक द्वारा उक्त दुकान से संबंधित नगर पालिका निगम में ''भयप्रद एवं उत्तेजक पदार्थ'' के मद में जमा की राशि की रसीद एवं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उक्त परिसर में दिये गये दूरभाष देयक के भुगतान की रसीद तथा दुकान का पंजीयन प्रमाण–पत्र उनके मालिकाना हक दर्शाने हेतु प्रस्तुत किए।

09 फोरम कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दुकान नं. 2/4 नगर पालिका निगम सागर के रिकार्ड में श्री मनीष कुमार आत्मज श्री उधवदास के नाम से दर्ज है तथा आवेदक श्री मनीष कुमार के मामा हैं जिनको कि कुछ समय के लिए दुकान नं. 2/4 व्यापार करने हेतु उनके पिताजी द्वारा दी गई थी तथा उनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण आवेदक ने दुकान पर कब्जा कर लिया तथा अब दुकान खाली नहीं कर रहे हैं।

10 आवेदक द्वारा तृतीय व्यावहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के न्यायालय में वाद के दौरान बताया गया कि वे लगभग 40 वर्ष से कपड़े का व्यापार दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 से कर रहे हैं तथा उनकी दुकान का रजिस्ट्रेशन भी वर्ष 1993 से है।

11 आवेदक के विरूद्ध तृतीय व्यावहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के न्यायालय में वाद दिनांक 20.2.2014 को दायर किया गया है तथा जिस पर स्थगन आदेश दिनांक 16.10.2015 को दिया गया। जबकि एस्सेल ग्रुप विद्युत वितरण कंपनी द्वारा (ओई–7) के अनुसार दिनांक 20.5.2014 के पूर्व से विद्युत कनेक्शन नं. 2504704 जो कि श्री बच्चामल तीरथ दासानी के नाम से था का नाम श्री पंकज कुमार पिता श्री महेश कुमार के नाम से परिवर्तन कर दिया गया एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वादग्रस्त परिसर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था। जबकि एस्सेल ग्रुप विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय में जब इस बिन्दु को माननीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया तब दिनांक 5.12.2015 को तकनीकि ग्राउण्ड पर उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मूल वाद में एस्सेल ग्रुप विद्युत वितरण कंपनी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आवेदक श्री सच्चानंद पंजवानी द्वारा विवादग्रस्त दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 के लिए कोई भी दस्तावेज जो कि उनके मालिकाना हक दर्शाते हों प्रस्तुत नहीं कर पाये।

ब नगर निगम कार्यालय में दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 क्रमशः श्री मनीष कुमार आत्मज श्री उधवदास एवं श्री पंकज कुमार आत्मज श्री महेश कुमार के नाम से दर्ज है।

स दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 नगर निगम की सम्पत्ति है तथा उनके द्वारा अनुबंध करके दुकानें किराये पर श्री मनीष कुमार आत्मज श्री उधवदास एवं श्री पंकज कुमार आत्मज श्री महेश कुमार को दी हैं।

12 मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.10 के अनुसार आवेदक को विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इस संहिता के परिशिष्ट–2 जिसमें कि परिसर के स्वामित्व/कानूनी अधिभोग संबंधी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज देना आवश्यक है।

13 आवेदक के विरूद्ध उक्त परिसर के मालिकाना हक के संबंध में वाद तृतीय व्यावहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के न्यायालय विचाराधीन है।

14 अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.35 के अनुसार ऐसे प्रकरण जो आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष मौजूद या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय–वस्तु के विचाराधीन हैं अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता। चूंकि आवेदक द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज जो कि यह प्रमाणित करे कि दुकान नं. 2/4 एवं 2/5 उसके स्वामित्व की है प्रस्तुत नहीं कर सका तथा प्रकरण तृतीय व्यावहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के न्यायालय विचाराधीन होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

15 यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.11 जो निम्नानुसार है के प्रावधान के अनुसार अपने विवेक से आवेदक को विद्युत कनेक्शन दे सकते हैं।

> ***4.11 ऐसे प्रकरणों में जहां घरेलू और एकल–फेज गरै–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो संबंधित विद्युत वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है । तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं को ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उनकी नब्बे (90) दिन की अनुमानित औसत् खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार के परिसरों में प्रदाय किये गये विद्युत संयोजनों (या इससे संबंधित अभिलेखों) को परिसर पर किसी भी प्रकार उसके कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरन्त स्थाई तौर पर विच्छेदित किया जा सकेगा।***

16 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल